392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

हैं लेकिन कोई इंडिविजुअल नहीं आया केस करने के लिये। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से भी कार्रवाई की है....

श्री बीरबल शर्मा : मान्यवर, चीनी मिल वालें गन्ना लेकर पैसा जल्दी नहीं देते हैं, किसानों की पूंजी, गन्ना तो मिल में चला जाता है और सरकार सूद दिलानें में अक्षम हो रही है तो क्या यह सही है कि मिल वालों से जिन किसानों ने ब्याज नहीं लिया है, जिनको नहीं मिला है उनको सरकार चक्रवृद्धि ब्याज दिलायेगी? क्या सरकार इसके लिये गन्ना ऐक्ट में प्रावधान करेगी?

श्री रामानंद यादव : मान्यवर, जैसा मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि समय पर ईख की कीमत दे दी जाय और हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रावधान हम करें जिससे समय पर किसानों को मूल्य दे सकें और यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राईवेट मिलों पर हम कौन-सी कार्रवाई करें ताकि सूद के साथ पैसा किसानों को मिल सके।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं।

मेरी व्यवस्था यह है कि माननीय मंत्रीजी सिवान जिले से आते हैं मैं जानना चाहता हूं कि सिवान जिला में 1981 से एस. के. जी. चीनी मिल...

अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। अगला प्रश्न।

सिमेंट उत्पादन ने वृद्धि

*** 147. श्री रघुनाथ झा**—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सन् 1967 में बिहार में सीमेंट का उत्पादन 22.45 लाख टन प्रतिवर्ष था जो सन् 1988 में घटकर मात्र 10.37 लाख टन प्रतिवर्ष रह गया है;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार में सिमेंट उत्पादन में वृद्धि के लिये ठोस कदम उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों?

श्री रामानन्द यादव : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

2. राज्य में मांग को देखते हुए सीमेंट उत्पादन में वृद्धि के लिये राज्य सरकार संचेष्ट है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार की चेष्टा से निजी/संयुक्त क्षेत्र में कुल 7 मिनी सीमेंट प्लान्टों के लिए निबंधन भारत सरकार से प्राप्त किये गये हैं। इनमें से एक इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। चार इकाई में कारखाना भवन तैयार हो चुके हैं। मशीन स्थापित की जा रही है। कुछ महीनों के अन्दर उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है। इस प्रकार इस वर्ष के अन्दर 2.13 लाख टन अतिरिक्त वार्षिक क्षमता का सृजन हो जायेगा। शेष दो में कारखाने हेतु भूमि, वित्त आदि की व्यवस्था की जा रही है। इन सभी प्लान्टों के उत्पादन में जाने के पश्चात् नये मिनी सीमेन्ट प्लान्टों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 लाख टन हो जायेगी।

इन मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के अतिरिक्त टिस्को ने 17 लाख टन क्षमता वाले एक स्लैग ब्रेस्ट सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने हेतु गत वर्ष आशय-पत्र प्राप्त किया है और इसकी स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

इनके अतिरिक्त बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से बोकारो के निकट 10 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता के एक वृहत्त

सीमेन्ट कारखाने की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिये आशय-पत्र प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को आवेदन दिया जा चुका है। यह परियोजना संयुक्त क्षेत्र में भारत सरकार के एक उपक्रम स्टील आर्थोरिटी ऑफ इंडिया लि. तथा निजी क्षेत्र के सहयोगी सर्वश्री ओरियेंट पेपर लि. के साथ स्थापित की जायेगी. सहयोग की शर्त्तों पर हस्ताक्षर हो चुके है। अन्य कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावे राज्य सरकार ने बंद एवं रूग्न सीमेन्ट प्लान्ट के पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाया है। सोन वैली सीमेन्ट प्लान्ट के पुनर्वास का मामला बी.एफ.आई.आर. के विचाराधीन है। उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कल्याणपुर लाईम एण्ड सीमेन्ट कारखाना को आधुनिकीकरण कर क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार रोहतास सीमेन्ट कारखाना के पुनर्वास के मामले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई के अंतिम चरण में है। न्यायालय के निदेश के आलोक में इस प्लान्ट के पुनर्वास की कार्रवाई की जायेगी।

राज्य में सीमेन्ट उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। जिसका प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। इस प्रतिवेदन की अनुशंसा के आलोक में आवश्यक कदम उठाये गये है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में अधिक से अधिक सीमेन्ट उत्पादन हेतु राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाया है।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्वीकारा है कि जहां इस राज्य में 1967 में 22.45 लाख टन

सीमेन्ट उत्पादन होता था, वह घटकर 1988 में 10.37 लाख टन हो गया है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि उन्होंने सीमेन्ट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ कार्रवाई की है। इसी संदर्भ में माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही हैं कि तत्कालीन उद्योग मंत्री (भारत सरकार) ने अपने अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-डी.सी.आई. 2-17/85 लेवी-4467, दिनांक 5 मई, 1986 के द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार को बिहार राज्य में लेवी सीमेन्ट की उपलब्धता सुधारने हेतु सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेन्ट कम्पनी लि. जपला (पलामू) को पुनः चालू करवाने हेतु अनुरोध किया था? उसपर सरकार ने कौन-सी कार्रवाई की है?

श्री रामानन्द यादव : सोन वैली पोर्टलैण्ड सीमेन्ट प्लान्ट के पुनर्वास का मामला बी.एफ.आई.आर. के विचारधीन है, उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जोयगी।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से लिखा और इसकी सार कार्रवाई होती रही है। जपला सिमेन्ट फैक्ट्री को खोलने का फैसला भी सरकार ने ले लिया था और यह भी फैसला हो गया था कि मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करने जायेंगे लेकिन जान बूझकर बिहार में जितने इस तरह के उद्योग-धंधे पुराने हैं उनकों बंद करने की रूचि बिहार सरकार लेती है, नये फैक्ट्री बढ़ाने की बात तो दूर रही। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कबतक इसको सरकार खोलना चाहती है?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमलोग चाहते हैं, बिहार सरकार चाहती है कि जो भी बीमार उद्योग हैं उनको चलाने की कोशिश करे। उसमें सिर्फ एक ही कठिनाई है साधन की,

इसीलिये बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल फिनानसियल जिसके अुनसार वह बैंक से इंस्टीच्यूशनल फिनान्स दिलाता है। उसके सामने बहुत तेजी से सिरिअसली इस बात को हम कर रहे हैं कि वह जल्दी फैसला दें ताकि हमलोग इस दिशा में कार्य कर सकें।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्री के पत्र के आलोक में बिहार सरकार ने 9 दिसम्बर 87 को जपला सिमेन्ट फैक्ट्री को री-ओपनिंग करने का फैसला लिया था तो किस परिस्थिति में इस फैसले को रोक दिया गया और री-ओपनिंग को बात नहीं हो सकी?

श्री भागवत झा आजाद : (बैठे-बैठे) फैसला नहीं हुआ था।

श्री रघुनाथ झा : मैं कोट का रहा हूं उनके लेटर का जिसके मुताविक री-ओपनिंग करने का फैसला हो गया था और पूंजीपतियों के दबाव में आकर इस सरकार ने बंद करने का फैसला किया। कबतक सरकार इसको खोलना चाहती है?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के दबाव में आकर यह काम बिहार सरकार कभी नहीं करेगी। एक बात है कि इसको चलाने के लिये वित्तीय साधन चाहिए। आज जितने भी रूग्ण फैक्ट्रीज हैं इस प्रदेश में या बाहर में उनके लिये केन्द्रीय सरकार ने एक हाई पावर बोर्ड बनाया है जो इसको देखता है। वह उद्योगपतियों को भी कहता है। इसलिये हमलोग उनके सामने में है और जबतक बी.एफ. आई.आर. इसको क्लीयर नहीं करता है तबतक हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको देख लूंगा कि ऐसी बात सही है या नहीं मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामलखन सिंह यादव : कौन बात सत्य है? तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विधिवत अपना कार्यक्रम बना लिया था कि जपला सिमेन्ट फैक्ट्री के उद्घाटन करने का लेकिन परिस्थिति के साथ-साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने काफी तवज्जुह दिया है। केन्द्रीय सरकार का जो ब्यूरों है उसने इस संबंध में प्रक्रिया भी अपनायी डिले किया। वर्तमान मुख्यमंत्री काफी तत्पर भी है और सामान्यतः इस फैक्ट्री को चलाने के लिये बैकों ने इजाजत भी दे दी है बशर्ते कि बिहार सरकार चाहे लेकिन मैं चाहूंगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री के तत्परता दिखाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार के ब्यूरों को रिपोर्ट नहीं भेजा गया जिससे वर्तमान मुख्यमंत्री के चाहते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने अपना अंतिम फैसला नहीं किया। इसको डिले किया जा रहा है जिससे बिहार सरकार को घाटा हो रहा है।

श्री रामानन्द यादव : बी.एफ.आई.आर. जो पुर्ननिमाण समिति है उसके सामने बिहार सरकार के प्रतिनिधि लगे हुए हैं। अंतिम फैसला उसको करना है।

श्री रघुनाथ झा : मिल मालिक बन्द करके चला जायेगा और आप चुप-चाप बैठे रहेगे?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल केन्द्रीय सरकार का जो हवाला देकर कहा जा रहा है, यह गुमराह किया जा रहा है। हमारे पास इसका पूरा मसौदा तैयार है, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह निर्णय ले लिया था कि कहां से पैसा कितना मिलेगा, कितना प्राईवेट पार्टी लगायेगी और कितना बैंकिंग वाले लगायेंगे। उसे समय के तत्कालीन माननीय सदस्य श्री हरिहर सिंह जी ने सब माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर तय कर लिया था, सिर्फ तिथि तय नहीं हुई वहां के उद्घाटन के संबंध

में, पलामु जो हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर एकमात्र यही उद्योग है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस प्रश्न के स्थगित रखा जाए और इस पर सरकार अपनी एक निश्चित राय दे कि कब इसको खोलना चाहती है? तब तक इस प्रश्न को स्थगित रखा जाए।

श्री रामानन्द यादव : सीमेन्ट की कमी को देखते हुए सरकार रूग्न इकाईयों को मजबूत करने के लिए सतत् प्रयास कर रही है और करेगी।

संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना

***148. श्रीमति ज्योति**—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कानून व्यवस्था एवं सुदृढ़ प्रशासन बनाये रखने के लिये संवेदनशील इलाकों की सूची बनाई गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत सहार एवं तरारी प्रखंड 1970 से ही संवेदनशील इलाका है, यदि हां, तो सहार एवं तरारी प्रखंड को संवेदनशील क्षेत्र इलाका की सूची में नहीं रखने का क्या औचित्य है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. राज्य के नक्सल प्रभावित थानों की जो सूची है, उनमें तरारी और सहार थाने को भी रखा गया है।